

FORM No. III
 फर्द अहकाम
 (विधायक 26)

AA/3
 crm-1

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं मुकाम उपखण्ड अधिकारी, पीपाड शहर

किरम मुकदमा नं० 212 R. TAMM
 बनाम चन्द्रा वर्मा
 255 / 2024

नारीख
 हुम


हुम या कार्यवाही पर इनिशियल्स जत

नम्बर व तारीख
 अहकाम नं०
 इस हुम की
 तारीख व जगह
 हुम

7 ¹⁰/₂₄


वकील प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
 धारा 212 आर.टी.एक्ट/एन.आर.एक्ट के
 तहत प्रस्तुत किया है जो दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगणों
 को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 17/10/24
 को पेश हो।

जारी
 7/10/24
 212/24


 उपखण्ड अधिकारी एवं
 सहायक कलक्टर
 पीपाड शहर

¹⁰/₂₄


पत्रावली पर हुड़ी वकील जयशंकर
 राजस्व वि. 168 की डी.टी. में 14/10/24
 राजस्व खाता नं० वकील बनाम
 भद्र जवाब नं० 12/12/24
 डी.टी. में 14/10/24 पर 14/10/24
 नं० वकील बनाम भद्र जवाब पर
 कि. डी. वकील जयशंकर नं० राजस्व
 जयशंकर के खाता नं० 24
 148, व 148) की समीक्षा हेतु


 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 पीपाड शहर (बोधपुर)

एवं गाँव की सभासिद्धि व्याप्त रखी जाने
है, अनधिकृत दस्तावेजों को खाली जारी
किया जाने का निवेदन किया है इसी
प्रकार वकील सभासिद्धि सं. 12 अथ

U.S. कच्छवाह ने अपनी कच्छ में प्रतीगण
का प्रमाण पत्र माफिय इतुकुंसा, खीका
किया जाने काकर सहमति जगति की है
इसी प्रकार वकील सभासिद्धि सं. 108 अथ
रामकृष्ण खान, ने प्रतीगण का प्रमाण
पत्र अथ रकची हर्जी के खारेज किया जाने का
निवेदन किया है

धर्म कच्छ वरुणाद सुनी, कच्छ में
सतत किया जाकर 'उभय पक्ष का पालन
किया जाता है कि वह बल बाध के
निवारण, अब राजसूय ग्राम नानव, के
खण्ड 24, 80, 88/1 की रेकॉर्ड एग मॉक
की सभासिद्धि व्याप्त रखी जावे एवं
वद ग्राम साराजी में किया प्रका का
कर का पक्का निर्माण नही करे। पत्तावली
केवल गुमा हाका नम्बर में कम ही एवं
बल बाध के साथ नरणी हो

12/11

सहायक फलवट्टर एक्
उपखण्ड अधिकारी
बीपड सहर (जोधपुर)